न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 4/2019/अपील/एलआरएक्ट/बांरा

तारीख दायराः 3.1.2019

अन्तर्गत धाराः 76 एल.आर.एक्ट

उनवान

1. जितेन्द्र कुमार आत्मज स्व0 रामेश्वर जाति मीणा
2. निर्मला बेवा स्व0 रामेश्वर जाति मीणा
   निवासीगण ग्राम लाखसनीजा तहसील दीगोद जिला कोटा–राज0।

...अपीलांट

बनाम

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वर जाति मीणा निवासी ग्राम मूंडला तहसील मांगरोल जिला बांरा–राज0।
2. ग्राम पंचायत रायथल तहसील मांगरोल जिला बांरा–राज0।

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री जगदीश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट
श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1

:::निर्णय:::

दिनांक 26.9.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 1/2019 अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान सुरेन्द्रकुमार बनाम ग्राम पंचायत रायथल व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 20.8.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 एलआरएक्ट मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि रेस्पो0 क्रम–1 सुरेन्द्रकुमार द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत रायथल द्वारा रामेश्वर की मृत्यु उपरांत तस्दीक किये गये नामा0 सं0 349 ग्राम मूण्डला (सरकन्या) तहसील मांगरोल से अप्रसन्न होकर प्रथम अपीलीय न्यायालय मे अपील इस आशय की पेश की गई कि निर्मला पत्नी रामेश्वर मीणा रामेश्वर की मृत्यु हो जाने के बाद समस्त चल व अचल सम्पत्ति का परित्याग करके दूसरा नाता विवाह ग्राम तोरण तह0 दीगोद के निवासी किशनलाल के साथ कर लिया जहां वह निवासरत है। ग्राम पंचायत ने उक्त तथ्यों की जांच किये बिना ही इन्तकाल सं0 349 तस्दीक कर दिया जो अवैध व त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 20.8.2018 से सुरेन्द्रकुमार द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर नामा0 सं0 349 दिनांक 5.1.2018 ग्राम मूण्डला (सरकन्या) निरस्त कर ग्राम मूण्डला के खाता सं0 130 मे दर्ज आराजी 0.61 है0 खाता सं0 145 मे दर्ज आराजी 1.53 है0 खाता सं0 142 मे दर्ज आराजी 2.65 खाता सं0 128की आराजी 1.89 है0 खाता सं0 131 आराजी 1.43 है व खाता सं0 143 मे दर्ज आराजी 2.07 है0 मे से मृतक नरेन्द्र कुमार जितेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वर, निर्मलाबाई बेवा रामेश्वर मीणा का नाम विलोपित कर विलोपित किये गये खातेदारों के हिस्से की आराजी अपीलांट/सुरेन्द्रकुमार के हिस्से मे दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेशित किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट को समुचित रूप से उनके पते

अति० सं० आयु०
कोटा

पर बिना नोटिस/सम्मन जारी किये, बिना तामील कराये, बिना सूचना, सुनवाई का अवसर दिये ही एक तरफा रूप से बिना किसी आधार के जेरअपील निर्णय विधि विरूद्ध पारित करने मे त्रुटि की है। तहसीलदार मांगरोल लेण्ड होल्डर होने से प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार होते हुये भी उनको पक्षकार नही बनाया गया। वास्तविकता यह है कि अपीलांट क्रम–1 के पिता व अपीलांट नम्बर 2 के पति रामेश्वर मीणा आ0 राधाकिशन मीणा थे रामेश्वर मीणा की पूर्व पत्नी कलावती के दो पुत्र नरेन्द्र व सुरेन्द्र होने के प्श्चात कलावती की सन 1990 के आस–पास मृत्यु हो जाने पर रामेश्वर ने निर्मला/अपीलांटा के साथ विवाह कर लिया था तब रामेश्वर के नुत्फे से जितेन्द्र कुमार अपीलांट क्रम–1 दिनांक 3.5.1995 को हुआ था। अतः अपीलांट क्रम–1 रामेश्वर का सुलभी पुत्र रहता चला आ रहा था तत्पश्चात रामेश्वर का दिनांक 15.10.1997 को स्वर्गवास हो गया था। तत्समय उनके हक व हिस्से की उक्त वर्णित आराजी रामेश्वर के स्थान पर उनके रहे वारिसान सुरेन्द्र, जितेन्द्र, नरेन्द्र पुत्र रामेश्वर व निर्मला बेवा रामेश्वर के नाम बाद जांच व हल्का पटवारी व ग्राम पंचायत रायथल द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र अनुसार विधि सम्मत रूप से नामान्तरकरण दर्ज किया गया। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनमर्जी से जितेन्द्र व निर्मला का नाम विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड मे से विलोपित करने का विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर त्रुटि की है। अपीलांट क्रम–1 अपीलांट क्रम–2 निर्मला का गेलड पुत्र नही है ना ही गेलड के रूप मे निर्मला के साथ रामेश्वर के यहा गया। अपीलांट क्रम–1 रामेश्वर के नुत्फे से ही पैदा हुआ है जिसके समर्थन मे स्कूल प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, शिक्षा प्रमाण पत्र आदि मे भी अपीलांट क्रम–1 जितेन्द्र के पिता के स्थान पर रामेश्वर का ही नाम दर्ज चला आ रहा है जिसके आधार पर ही पहली पत्नि कलावती के दोनो रहे पुत्र नरेन्द्र व सुरेन्द्र के साथ साथ जितेन्द्र व निर्मला का नाम राजस्व रिकार्ड मे बाद समुचित जांच दर्ज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत अपील को अपीलांट को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना व विवादित आराजी के चल रहे अन्य सहखातेदारान को दुर्भावना से बिना पक्षकार बनाये ही एक पक्षीय रूप से स्वीकार कर जेरअपील निर्णय विधि विरूद्ध पारित करने मे त्रुटि की है। पक्षकार के मध्य पूर्व मे एक वाद सुरेन्द्र द्वारा न्यायालय एसडीओ मांगरोल के यहा 34/16 अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीए का सुरेन्द्र बनाम रामबिलस आदि प्रस्तुत किये जाने की जानकारी मिली है जिसमे अपीलांट को भी पक्षकार नम्बर 15 व 16 के रूप मे बनाया गया था जिसमे जितेन्द्र अपीलांट को गेलड पुत्र बताया था जिसे साबित नही करने के कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 5.6.17 को निरस्त कर दिया गया। उक्त निर्णय की जानकारी अपीलांट को पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 18.12.2018 को बताने पर हुई जिसकी नकल प्राप्त कर अपील प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की है अतः डिले कन्डोन किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 20.8.2018 निरस्त किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने नामा0 सं0 349 को खारिज करने मे त्रुटि की है रामेश्वर का दिनांक 15.10.97 को स्वर्गवास हो गया उसके पहली पत्नि कलावती थी जिसका सन 1988–90 मे स्वर्गवास हो गया है जिसके दो पुत्र सुरेन्द्र व नरेन्द्र हुये नरेन्द्र कासन 2008 मे स्वर्गवास हो गया। पहली पत्नि कलावती के स्वर्गवास उपरांत रामेश्वर ने निर्माला से विवाह कर लिया था। रामेश्वर के नुत्फे से सन 1995 मे जितेन्द्र पैदा हुआ है। अतः जितेन्द्र मिर्मला के साथ गेलड नही गया। स्कूल प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, शिक्षा प्रमाण पत्र आदि मे भी अपीलांट क्रम–1 जितेन्द्र के पिता के स्थान पर रामेश्वर का ही नाम दर्ज चला आ रहा है। रामेश्वर की मृत्यु के उपरांत ग्राम पंचायत द्वारा नामा0 सं0 349 सही रूप से तस्दीक किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त कर विधिक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की प्रोपर तामील कराये बिना गलत पते पर नोटिस जारी कर एक पक्षीय रूप से अपीलांट को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना तथा अन्य खातेदारो को पक्षकार बनाये बिना जेरअपील निर्णय विधि विरूद्ध पारित किया है। बहस मे आगे बताया कि सुरेन्द्र द्वारा एसडीओ मांगरोल मे काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश किया था जो अपीलांट को गेलड होना साबित नही कर पाने से खारिज कर दिया गया। प्रार्थना पत्र धारा 151 सपीसी राजस्व अपील

पूर्व समय से ही विचाराधीन चली आ रही है दीवानी न्यायालय के वाद से इस विचाराधीन अपील की आपत्तियां व विषय वस्तुत प्रभावित नही होती है। कानूनन भी किसी दीवानी न्यायालय मे अपने सिविल अधिकारो से संबधित पेश या विचाराधीन वाद से राजस्व न्यायालय के विवाद के होने वाले निस्तारण, निर्णय को स्थगित नही किया जा सकता। इस विचाराधीन अपील के विवाद का निस्तारण उपखण्ड अधिकारी मांगरोल के द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध इस अपीलीय न्यायालय मे पेश साक्ष्य व तथ्य विधि अनुरूप होना है जिसे किसी प्रकार से स्थगित नही किया जा सकता। अपील के न्यायोचित निर्णय से बचने व उसे न होने देने की दुर्भावना से रेस्पो0 द्वारा यह मिथ्या कथनों पर आधारित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। धारा 151 सीपीसी पृथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है केवल की वाद रोकने का प्रावोजीन केवल 10 सीपीसी मे है पूर्व कार्यवाही को भी 10 सीपीसी मे नही रोक सकते। अन्त मे उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 कम–1 ने बहस मे बताया कि अपीलांट द्वारा जेरअपील एसडीओ मागंरोल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.8.18 की अप्रसन्नता से पेश की गई है। अपीलांट ने उकत आराजी बावत दीवानी न्यायालय मे से रामेश्वर एवं निर्मला का सुलभी पुत्र घोषित किये जाने बावत रेस्पो0 कम–1 के विरूद्ध घोषणात्मक वाद दिनांक 26.2.2019 को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश मागरोल के न्यायालय मे प्रस्तुत कर दिया है उक्त वाद वर्तमान मे विचाराधीन है। अपीलांट द्वारा यह अपील नामा0 की संक्षिप्त कार्यवाही के संबध मे प्रस्तुत की गई है पक्षकारान के मध्य नियमित वाद विचाराधीन है ऐसी स्थिति मे नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही के विचाराधीन इसी अपील की कार्यवाही को दावे के अन्तिम निर्णय तक स्थगित किया जाना न्यायोचित है। बहस मे आगे बताया कि वर्ष 2016 से विवादित आराजी के संबध मे वाद एसडीओ मागरोल मे पेडिंग है। 2019 मे सिविल कोर्ट मे वाद पेण्डिग है पहले इसे डिकलेयर करावे जब तक कोई अधिकार नही बनता। ओल्ड हिन्दू लॉ के अनुसार रिमेरिज से अधिकार समाप्त हो जाते है। जितेन्द्र गेलड है इसलिये उसका विवादित आराजी मे कोई अधिकार नही बनता है। वोटर लिस्ट 2019 मे निर्मला पत्नी किशनललाल तोरण की होना अंकित है। नामा0 सं0 349 रामेश्वर का फौती इंतकाल है इसलिये अन्य प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार नही है। सिविल वाद मे पता लाखसनीजा अंकित है हमारा दावा 2016 मे एसडीओ मे अपीलांट का मूण्डला व तोरण के पते पर है। जितेन्द्र गेलड है दोनो प्रकरणो मे नियमित वाद विद्यमान है। अतः कार्यवाही स्टे करें। अपने पक्ष समर्थन मे 2017 आरबीजे पेज 334 आरबीजे 2013 पेज 77 आरआरडी 1995 पेज 181, आरआरडी 2005 पेज 160, आरबीले 2006 पेज 659, आरआरटी 2011(2) पेज 741 का न्यायिक उद्धरण पेश किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख तथा प्रकरण मे प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलांट द्वारा प्रश्नगत अपील न्यायालय हाजा मे मियाद बाहर पेश की है डिले कन्डोन हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का पेश कर प्रार्थना पत्र मे अपीलाधीन निर्णय एक तरफा पारित किये जाने से निर्णय की जानकारी नही होना तथा निर्णय की जानकारी राजस्व रिकार्ड की प्रतिलिपी प्राप्त करने हेतु पटवारी हल्का से मिलने पर उसके द्वारा दिनांक 18.12.2018 को होना वर्णित किया गया। प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों के समर्थन मे स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों के खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर पेश नही किया गया है। ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्सनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है अतः समुचित आधार अभिलेख के अभाव मे प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम न्यायहित मे स्वीकार किया जाकर विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 अपील का गुणावगुण पर अवलोकन किया गया। प्रकरण मे अपीलांट एवं रेस्पो0 की ओर से पृथक–पृथक प्रार्थना पत्र आर्डर 41 रूल 27 सीपीसी बावत दस्तावेज रिकार्ड पर लेने पेश किये गये। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। न्यायहित मे प्रार्थना पत्र के सलग्न दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियां प्रकरण के निर्णय मे सहायक होने से रिकार्ड पर ली जाती है। रेस्पो0 कम–1 सुरेन्द्र कुमार के अभिभाषक द्वारा दिनांक 9.7.2019 को प्रकरण मे प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी का पेश कर जेरअपील एसडीओ मागंरोल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.8.18 की अप्रसन्नता से अपीलांट अपीलांट द्वारा पेश की गई अपील दीवानी न्यायालय मे आराजी

राज० रा० मण्ड०
कोटा

बावत रामेश्वर एवं निर्मला का सुलभी पुत्र घोषित किये जाने के लिये रेस्पो0 क्रम–1 के विरूद्ध घोषणात्मक वाद दिनांक 26.2.2019 को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश मागरोल के न्यायालय मे प्रस्तुत कर दिये जाने एंव उक्त नियमित वाद वर्तमान मे विचाराधीन होने से नामा0 की संक्षिप्त कार्यवाही के संबध मे प्रस्तुत की गई अपील को पक्षकारान के मध्य नियमित वाद विचाराधीन होने से अपील की कार्यवाही को दावे के अन्तिम निर्णय तक स्थगित किये जाने बावत पेश किया गया जिसका अभिभाषक अपीलांट द्वारा दिनांक 24.7.2019 को जवाब पेश कर राजस्व अपील पूर्व समय से ही विचाराधीन होने तथा दीवानी न्यायालय के वाद से इस विचाराधीन अपील की आपत्तियां व विषय वस्तु प्रभावित नही होना वर्णित करते हुये जवाब मे वर्णित किया कि कानूनन भी किसी दीवानी न्यायालय मे अपने सिविल अधिकारो से संबधित पेश या विचाराधीन वाद से राजस्व न्यायालय के विवाद के होने वाले निस्तारण, निर्णय को स्थगित नही किया जा सकता। इस विचाराधीन अपील के विवाद का निस्तारण उपखण्ड अधिकारी मांगरोल के द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध इस अपीलीय न्यायालय मे पेश साक्ष्य व तथ्य विधि अनुरूप होना है जिसे किसी प्रकार से स्थगित नही किया जा सकता। अपील के न्यायोचित निर्णय से बचने व उसे न होने देने की दुर्भावना से रेस्पो0 द्वारा यह मिथ्या कथनों पर आधारित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना उल्लेखत करते हुये धारा 151 सीपीसी पृथम दृष्टया ही निरस्त योग्य बताया तथा कथन किया कि केवल वाद कार्यवाही रोकने का प्रावोजीन केवल 10 सीपीसी मे है पूर्व कार्यवाही को भी 10 सीपीसी मे नही रोक जा सकता। प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनने करने उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जेरअपील निर्णय जितेन्द्र एवं निर्मला की तामील मानते हुये एक पक्षीय कार्यवाही कर एक पक्षीय रूप से पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को तारीख पेशी दिनांक 14.8.2018 नियत कर ग्राम तोरण तह0 दीगोद के पते पर रजिस्टर्ड एडी नोटिस/सम्मन जारी किया जाना प्रकट होता है एडी रसीद अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न नही है जिसके अभाव मे अपीलांट की प्रोपर तामील नही मानी जा सकती। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की प्रोपर तामील कराये बिना गलत पते पर नोटिस जारी कर एक पक्षीय रूप से अपीलांट को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना तथा अन्य खातेदारो को पक्षकार बनाये बिना जेरअपील निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने काबिल निरस्तनीय है। न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत अपील प्रकरण में अपीलांट द्वारा ग्राम लाखसनीजा तह0 दीगोद का निवासीगण होना वर्णित किया है ऐसी स्थिति मे पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख से अपीलांट की विधिवत प्रोपर तामील कराये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय एक पक्षीय रूप पारित किया जाना प्रकट होता है जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से इस स्टेज पर रेस्पो0 की ओर से कार्यवाही स्टे किये जाने संबधी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी न्यायोचित नही होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। चूंकि उक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जेरअपील निर्णय 20.8.2018 अपीलांट की विधिवत प्रोपर तामील कराये बिना ही एक पक्षीय रूप पारित किया है जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 20.8.2018 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधिवत सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमांड/प्रतिप्रेषित किया जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 26.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा